

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 246/2023

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. सावित्री पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. मैना देवी उर्फ सन्तोष पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
3. कमला देवी पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
4. इन्द्रा पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. ओमधारा उर्फ उमादेवी पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. सुमन पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. पुष्पा पुत्री विद्या पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. रामकुमार पुत्र हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. निर्मल कुमार पुत्र बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. किशोर कुमार पुत्र बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
11. दीपा देवी पत्नी बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर/रावतसर ।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 29/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 44/66 की कुल 2.7580 है0 भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 82/109 की कुल 4.3015 है0 भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-बी तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



नोहर के खाता संख्या 35/153 की कुल 1.9730 है० भूमि व रोही मौजा 21 आरडब्यूडी तहसील रावतसर के जमाबंदी 2075-2078 के खाता संख्या 26/95 की कुल 3.1370 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो कि प्रतिवादी संख्या 11 की पुत्रिया व 9, 10 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 7 का का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 20 आरडब्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 44/66 के खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.7580 है० भूमि के प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 25/1 की 0.2024 है०, 25/2 की 0.0506 है० भूमि पर वादी काबिज है तथा प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 16 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 17 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 18 मिन दक्षिण की 0.1012 है०, 23 की 0.253 है०, 24 की 0.253 है० तथा प० नं० 236/399 (18) के किला नं. 21/1 0.0570 है०, 21/3 की 0.0570 है०, 22/1 की 0.1390 है०, 23/1 की 0.2280 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है प० नं० 236/400 (31) किला नं. 12 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 16 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 17 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 18 के मिन उत्तर की 0.1518 है०, 19 की 0.253 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है तथा रोही मौजा 20 आरडब्यूडी-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 82/109 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.3015 है० भूमि के प० नं० 237/400 (1) के किला नं. 2 की 0.253 है०, 9/1 की 0.057 है०, 9/3 की 0.0700 है०, 12 की 0.2530 है०, 19 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० व प० नं० 236/401 (15) के किला नं. 5 की 0.2530 है० प० नं० 237/401 (14) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 2 की 0.2530 है०, 3 की 0.2530 है०, 4 की 0.2530 है०, 7 की 0.2530 है०, 8 की 0.2530 है०, 9 की 0.2530 है० भूमि पर वादी काबिज है व प० नं० 237/400 (1) किला नं. 1/1 की 0.215 है०, 10/1 की 0.1645 है०, 11 की 0.2530 है०, 20 की 0.2530 है०, 21 की 0.2530 है०, भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है व रोही मौजा 20 आरडब्यूडी-बी तहसील नोहर के खाता संख्या 35/153 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9730 है० भूमि 241/405 (29) के किला नं. 20/2 की 0.2020 है, 19 के मिन दक्षिण की 0.2278 है०, 18 के मिन दक्षिण की 0.2279 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब०

काबिज है तथा रोही मौजा 21 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के जमाबंदी 2075-2078 के खाता संख्या 26/95 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1370 है0 भूमि के प0 नं0 228/409 (43) के किला नं. 7 की 0.2530 है0, 14 की 0.2530 है0, 17 की 0.2530 है0, 24/2 की 0.228 है0, 8 मिन पूर्व की 0.070 है0, 13 मिन पूर्व की 0.070 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.070 है0, 23 के मिन पूर्व की 0.068 कुल 1.265 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब0 हि0 ब0 काबिज है शेष 1. 872 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वकील वादी ने प्रतिवादी स0 12 को तर्क अंकित किया।

प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 11 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 44/66 की कुल 2.7580 है0 भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 82/109 की कुल 4.3015 है0 भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-बी तहसील नोहर के खाता संख्या 35/153 की कुल 1.9730 है0 भूमि व रोही मौजा 21 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के जमाबंदी 2075-2078 के खाता संख्या 26/95 की कुल 3. 1370 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा चन्दो देवी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 11 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 11 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी

के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 44/66 की कुल 2.7580 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चंदो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 25/1 की 0.2024 है०, 25/2 की 0.0506 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 16 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 17 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 18 मिन दक्षिण की 0.1012 है०, 23 की 0.253 है०, 24 की 0.253 है० तथा प० नं० 236/399 (18) के किला नं. 21/1 की 0.0570 है०, 21/3 की 0.0570 है०, 22/1 की 0.1390 है०, 23/1 की 0.2280 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 236/400 (31) किला नं. 12 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 16 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 17 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 18 के मिन उत्तर की 0.1518 है०, 19 की 0.253 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 82/109 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.3015 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 237/400 (1) के किला नं. 2 की 0.253 है०, 9/1 की 0.057 है०, 9/3 की 0.0700 है०, 12 की 0.2530 है०, 19 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० व प० नं० 236/401 (15) के किला नं. 5 की 0.2530 है० प० नं० 237/401 (14) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 2 की 0.2530 है०, 3 की 0.2530 है०, 4 की 0.2530 है०, 7 की 0.2530 है०, 8 की 0.2530 है०, 9 की 0.2530 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 237/400 (1) किला नं. 1/1 की 0.215 है०, 10/1 की 0.1645 है०, 11 की 0.2530 है०, 20 की 0.2530 है०, 21 की 0.2530 है०, भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-बी तहसील नोहर के खाता संख्या 35/153 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9730 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चन्दो देवी पत्नी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 241/405 (29) के किला नं. 2 मिन पूर्व की 0.1250 है०, 9 के उत्तर पूर्वी कोना की 0.0015 है०, 8 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 18 के मिन उत्तर 0.0251 है० भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 2 के मिन पश्चिम की 0.128 है०, 9 मिन पश्चिम की 0.2515 है०, 12 की 0.253 है०, 19 के मिन उत्तर 0.0252 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 241/405 (29) के

24

किला नं. 20/2 की 0.2020 है, 19 के मिन दक्षिण की 0.2278 है, 18 के मिन दक्षिण की 0.2279 है। भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 21 आरडब्यूडी तहसील रावतसर के जमाबंदी 2075-2078 के खाता संख्या 26/95 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1370 है। भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 228/409 (43) के किला नं. 7 की 0.2530 है, 14 की 0.2530 है, 17 की 0.2530 है, 24/2 की 0.228 है, 8 मिन पूर्व की 0.070 है, 13 मिन पूर्व की 0.070 है, 18 के मिन पूर्व की 0.070 है, 23 के मिन पूर्व की 0.068 कुल 1.265 है। भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 1.872 है। भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो मुताबिक नजरीया नक्शा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/11/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-टोपरिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या - 246/2023

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. सावित्री पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. मैना देवी उर्फ सन्तोष पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
3. कमला देवी पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
4. इन्द्रा पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. ओमधारा उर्फ उर्मादेवी पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. सुमन पुत्री बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. पुष्पा पुत्री विद्या पुत्री हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. रामकुमार पुत्र हरलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. निर्मल कुमार पुत्र बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. किशोर कुमार पुत्र बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
11. दीपा देवी पत्नी बृजलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 246 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 44/66 की कुल 2.7580 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चंदो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 25/1 की 0.2024 है०, 25/2 की 0.0506 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 236/400 (31) के किला नं. 16 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 17 मिन दक्षिण की 0.2024 है०, 18 मिन दक्षिण की 0.1012 है०, 23 की 0.253 है०, 24 की 0.253 है० तथा प० नं० 236/399 (18) के किला नं. 21/1 की 0.0570 है०, 21/3 की 0.0570 है०, 22/1 की 0.1390 है०, 23/1 की 0.2280 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 236/400 (31) किला नं. 12 की 0.253 है०, 13 की 0.253 है०, 16 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 17 मिन उत्तर की 0.0506 है०, 18 के मिन उत्तर की 0.1518 है०, 19 की 0.253 है० भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 आरडब्यूडी-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 82/109 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.3015 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व मृतका चन्दो देवी पन्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 237/400 (1) के किला नं. 2 की 0.253 है0, 9/1 की 0.057 है0, 9/3 की 0.0700 है0, 12 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0, 22 की 0.2530 है0 व प0 नं0 236/401 (15) के किला नं. 5 की 0.2530 है0 प0 नं0 237/401 (14) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 2 की 0.2530 है0, 3 की 0.2530 है0, 4 की 0.2530 है0, 7 की 0.2530 है0, 8 की 0.2530 है0, 9 की 0.2530 है0 भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 237/400 (1) किला नं. 1/1 की 0.215 है0, 10/1 की 0.1645 है0, 11 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है0, 21 की 0.2530 है0, भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 20 आरडब्यूडी-बी तहसील नोहर के खाता संख्या 35/153 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9730 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 241/405 (29) के किला नं. 2 मिन पूर्व की 0.1250 है0, 9 के उत्तर पूर्वी कोना की 0.0015 है0, 8 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 18 के मिन उत्तर 0.0251 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 2 के मिन पश्चिम की 0.128 है0, 9 मिन पश्चिम की 0.2515 है0, 12 की 0.253 है0, 19 के मिन उत्तर 0.0252 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 241/405 (29) के किला नं. 20/2 की 0.2020 है, 19 के मिन दक्षिण की 0.2278 है0, 18 के मिन दक्षिण की 0.2279 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 21 आरडब्यूडी तहसील रावतसर के जमाबंदी 2075-2078 के खाता संख्या 26/95 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1370 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व मृतका चन्दो देवी पत्नी हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 228/409 (43) के किला नं. 7 की 0.2530 है0, 14 की 0.2530 है0, 17 की 0.2530 है0, 24/2 की 0.228 है0, 8 मिन पूर्व की 0.070 है0, 13 मिन पूर्व की 0.070 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.070 है0, 23 के मिन पूर्व की 0.068 कुल 1.265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है व शेष 1.872 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **29/11/23** को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-टोपरिया